5/5/17

पत्रावली मुलाहजा की गई अदालत/ आदेश [illegible] की
केस [illegible] में पेश हुई। वाद सं. 18
[illegible] सं. 177 उपस्थित पत्रावली में
निर्णय [illegible] से किया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया।

मुकदमा दर्ज नम्बर से कम किया जाकर
फैसले शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 8/17

1. बद्री लाल पिता तेजा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. कैलाश पुत्र श्री तेजा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. राजु पुत्र श्री तेजा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राधा पुत्री तेजा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति नन्दु देवी पत्नी तेजा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हजारी जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. कालू आत्मज नाथु जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. शंकर आत्मज बालु जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. अम्बा लाल पुत्र श्री भैरू लाल जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. भवंर लाल पुत्र श्री चमना जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. रतनलाल पुत्र श्री मोहन लाल जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. नानु पुत्र श्री जग्गा जाट निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. भैरू पुत्र श्री माधु प्रजापत निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 15.05.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 09.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ प0ह0 आमलीगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 467 रकबा 01–08 बीघा, आराजी नं0 470 रकबा 00–06 बीघा, आराजी नं0 470/2 रकबा 00–01 बीघा, आराजी नं0 496 रकबा 03–12 बीघा, आरजी नं0 497 रकबा 00–12 बीघा, आराजी न0 499 रकबा 01–01 बीघा, आराजी नं0 509 रकबा 00–08 बीघा, आराजी न0 556 रकबा 01–08 बीघा, आराजी नं0 664 रकबा 01–00 बीघा, आराजी नं0 665 रकबा 03–19 बीघा, आराजी न0 670 रकबा 01–03 बीघा, आराजी न0 679 रकबा 00–19 बीघा, आराजी न0 696 रकबा 00–02 बीघा, आराजी नम्बर 1304/496 रकबा 01–01 बीघा कुल किता 14 रकबा 17–00 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है । इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 15.02.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील हमीरगढ ग्राम आमलीगढ मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी न0 467 रकबा 01–08 बीघा, आराजी नं0 470 रकबा 00–06 बीघा, आराजी नं0 470/2 रकबा 00–01 बीघा, आराजी नं0 496 रकबा 03–12 बीघा, आरजी नं0 497 रकबा 00–12 बीघा, आराजी न0 499 रकबा 01–01 बीघा, आराजी नं0 509 रकबा 00–08 बीघा, आराजी न0 556 रकबा 01–08 बीघा, आराजी नं0 664 रकबा 01–00 बीघा, आराजी नं0 665 रकबा 03–19 बीघा, आराजी न0 670 रकबा 01–03 बीघा, आराजी न0 679 रकबा 00–19 बीघा, आराजी न0 696 रकबा 00–02 बीघा, आराजी नम्बर 1304/496 रकबा 01–01 बीघा कुल किता 14 रकबा 17–00 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकोर्ड नियम 1958 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क . 1700 /– अक्षरे सत्रह सौ रूपये पत्थकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पत्थकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ